भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *414

जिसका उत्तर गुरुवार, 02 अप्रैल, 2026 को दिया जाना है

वर्चुअल (आभासी) न्यायालयों तथा हाइब्रिड (मिश्रित) सुनवाई का प्रवर्तन

***414 श्री विवेक के. तन्खा :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ई-न्यायालयों तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) संबंधी अवसंरचना पर किए गए अत्यधिक सार्वजनिक व्यय तथा वीसी/हाइब्रिड सुनवाई व्यवस्था को अनिवार्य करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के बाध्यकारी निर्देशों के आलोक में, क्या देश के सभी न्यायालयों में इसके समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए गए हैं ;

(ख) उक्त अधिदेश के बावजूद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संबंध में उच्च न्यायालयों द्वारा भिन्न-भिन्न एवं प्रतिबंधात्मक कार्यप्रणालियों का पालन किए जाने के कारण क्या हैं ;

(ग) आश्वासित कार्य समय, तकनीकी गुणवत्ता तथा वादी के आत्मविश्वास को सुनिश्चित करने हेतु किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) अंतर-संचालनीयता तथा बड़े पैमाने की किफायतों को परास्त करते हुए खंडित विक्रेता अनुबंधों को अनुमति प्रदान किए जाने के उच्च न्यायालय-वार कारण क्या हैं ; और

(ङ) बार एसोसिएशन और वादियों द्वारा इंगित की गई प्रणालीगत कमियों, जिनका समाधान किया जा रहा है, का ब्यौरा क्या है और उनके समाधान के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ; और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

<u>'वर्चुअल (आभासी) न्यायालयों तथा हाइब्रिड (मिश्रित) सुनवाई का प्रवर्तन' से संबंधित राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *414, जिसका उत्तर तारीख 02.04.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) से भाग (ङ) में उत्तर में निर्दिष्ट विवरण</u>

(क) से (ङ) : न्यायिक प्रणाली में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के उपयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से ई-न्यायालय मिशन मोड परियोजना को देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है । ई-समिति, भारत का उच्चतम न्यायालय, ई-न्यायालय परियोजना की देखरेख करने वाली शासी निकाय है और सभी घटकों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए परियोजना को नीति नियोजन, रणनीतिक दिशा और मार्गदर्शन प्रदान करती है । भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, ई-समिति के संरक्षक-प्रमुख हैं और वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत के उच्चतम न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा की जाती है ।

परियोजना के पहले चरण के दौरान, 493 न्यायालय परिसरों और 347 संबंधित जेलों के मध्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधा आरंभ की गई थी । दूसरे चरण के अधीन, 3240 न्यायालय परिसरों और संबंधित 1272 जेलों के मध्य वीसी सुविधाओं को सक्षम किया गया था । चरण-3 के अधीन, विभिन्न स्थापनों में, जिनमें न्यायालय, जेल और अस्पताल सम्मिलित हैं, उपलब्ध वीसी अवसंरचना को बढ़ाने और उन्हें उन्नत करने के लिए 228.48 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं । वर्चुअल सुनवाई, वकीलों, मुकदमेबाजों और साक्षियों को, विशेष रूप से दूरस्थ स्थानों में रहने वाले लोगों को, दूर से भाग लेने में सक्षम बनाकर, समय और लागत की बचत करते हुए, न्याय तक पहुंच बढ़ाती है । तारीख 28.02.2026 तक, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कुल 4.01 करोड़ वीसी सुनवाइयां की गई ।

उच्चतम न्यायालय ने, वीसी सुविधाओं की एकरूपता, प्रभावी और सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, 'न्यायालयों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए मॉडल नियम' विरचित किए हैं, जिन्हें सभी उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में कार्यान्वित किया गया था । इसके पश्चात्, संशोधित मॉडल 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (न्याय श्रुति) नियम 2025' राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा विरचित और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किए गए । इन नियमों को अपनाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों के बीच प्रसारित किया गया था । वर्तमान में, वीसी सुविधाओं के एकरूप कार्यान्वयन और भिन्न प्रथाओं को कम करने के लिए, 21 उच्च न्यायालयों ने न्याय श्रुति नियमों को अधिसूचित किया है । यद्यपि, ये मॉडल नियम एकरूपता को बढ़ावा देने के लिए जारी किए गए थे, तथापि, संबंधित उच्च न्यायालयों द्वारा उनकी प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वीसी और हाइब्रिड सुनवाई को शासित करने के तौर-तरीके, विरचित किए गए हैं, जिससे स्थानीय अपेक्षाओं के आधार पर प्रक्रियात्मक भिन्नताएं हो सकती हैं ।

ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण के अधीन, बैंडविड्थ को मजबूत करने, प्लेटफॉर्म की स्थिरता में सुधार करने और अपटाइम, सेवा गुणवत्ता और मुकदमेबाजों के विश्वास को बढ़ाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है । संपूर्ण न्यायालयों में वीसी

क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, 99.5% साइटों को 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस बैंडविड्थ की गति के साथ, वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यूएएन) के माध्यम से जोड़ा गया है ।

ई-समिति, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचित किए गए अनुसार, वीसी इंफ्रास्ट्रक्चर का उपापन, उच्च न्यायालयों के लागू नियमों के अनुसार किया जाता है । बार और वादियों द्वारा चिह्नित मुद्दों की समीक्षा, उच्च न्यायालयों के परामर्श से ई-समिति द्वारा समय-समय पर की जाती है और सुधारात्मक उपाय अनुमोदित परियोजना समय-सीमा के अनुसार चरणबद्ध तरीके से लागू किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त, वीसी सुविधाओं का कार्य एक प्रशासनिक मामला है, जो उच्च न्यायालयों के दायरे और अधिकार क्षेत्र में आता है और इस मामले में केंद्र सरकार की कोई सीधी भूमिका नहीं है ।
